



14 सितंबर, 2019



## संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी भाषा को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी भाषा विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जो एक ओर देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली, पढ़ी और समझी जाने वाली भाषा है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों की सहायता से सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराने और इस प्रकार सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी जनसंपर्क और राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में भी एक सशक्त कड़ी का काम कर रही है।

भाषा जितनी सहज और सरल होगी, विचारों का आदान-प्रदान उतना ही सरल होगा। सरकारी कामकाज में बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करें ताकि वह जनता की भाषा बनी रहे। आज हिंदी भाषा को पूरे विश्व भर में सम्मान की नजरों से देखा जाता है यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के जमाने में आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, हिंदी सिनेमा, विज्ञापनों आदि भी हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रही हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर वित्त मंत्रालय के सभी विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं एवं विनियामक निकायों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रकाश फैलाने में अपना योगदान दें।



(निर्मला सीतारामन)